UNIT -ii Civics

नागरिकशास्त्र शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य
[AIMS AND OBJECTIVES OF CIVICS TEACHING]

"When we are offering formal education, we should be very clear in mind as to the results expected from the presentation of a particular experience to the pupils. These 'expectations' (aims and objectives), control the nature and contents of the experience to be offered (curriculum), the manner of offering them (methods of teaching) and the kind of evaluation to be made (examination), for ascertaining whether the expectations have been fulfilled or not." **—K. P. Chaudhary**

विषय-प्रवेश

विद्यालय पाठ्यक्रम में कोई भी विषय स्वयं में साध्य के रूप में स्थान प्राप्त नहीं करता। इसको कुछ महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया जाता है। हमें यह निर्धारित करना पड़ता है कि बच्चे इससे क्या सीख सकते हैं ? क्या कर सकते हैं तथा इसके ज्ञान से क्या बन सकते हैं ? वे ऐसा क्यों करना चाहते हैं ? अतः किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिये लक्ष्य एवं उद्देश्य का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः शिक्षण-कार्य लक्ष्य के अभाव में सुचारु रूप से संचालित नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में **बी. डी. भाटिया** का कथन है—**"लक्ष्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपनी मंजिल को नहीं जानता है और बालक उस पतवारहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी तट पर जा सकेगी।"**[1]

स्वतः ही प्रश्न उठता है कि नागरिकशास्त्र शिक्षण के लक्ष्य क्या हैं ? परन्तु इनको जानने से यह जानना अनिवार्य हो जाता है कि इन लक्ष्यों के निर्धारण का आधार क्या है ?

लक्ष्यों के निर्धारक
(DETERMINANTS OF THE AIMS)

'शिक्षा' समाज की आधारशिला है। समाज में जिस प्रकार की शिक्षा होगी उसी प्रकार के समाज का निर्माण होगा। अतः इस बात का सदैव प्रयास किया गया है कि शिक्षा के लक्ष्य समाज की

1. "Without the knowledge of aims the educator is like a sailor who does not know his goal or his destination and the child is like a rudderless vessel which will be drifted along somewhere ashore." **—B. D. Bhatia**

माँगों, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल हों। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर विभिन्न देशों के विभिन्न विचारकों ने विभिन्न कालों में शिक्षा के विभिन्न लक्ष्यों का निर्माण किया। परन्तु आधुनिक शिक्षा में बालक को अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया जाने लगा। इस कारण शैक्षिक लक्ष्यों के निर्माण में उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं आदि का भी ध्यान रखा जाने लगा है। समाज यह निर्धारित करता है कि 'क्या प्राप्त किया जाना चाहिए ?' शिक्षक यह निर्धारित करता है कि 'क्या प्राप्त किया जा सकता है ?' इनसे निकला हुआ परिणाम ही शैक्षिक लक्ष्य होता है। अतः शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारक—नागरिक, शिक्षक, छात्र तथा जीवन- दर्शन हैं। यद्यपि शैक्षिक लक्ष्यों के निर्धारण में समाज, व्यवस्थापिका, समाचार-पत्र, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री आदि भी भाग लेते हैं, परन्तु ये केवल दिशा का निर्धारण करते हैं।

लक्ष्य, मूल्य तथा उद्देश्य में भेद
(DIFFERENCE AMONG AIMS, VALUES AND OBJECTIVES)

लक्ष्य व्यापक है जिसे प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। लक्ष्य आदर्श पर आधारित है जिसे प्राप्त करने में विद्यालय की समस्त पाठ्यक्रमीय एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ सहायक होती हैं। **कार्टर वी. गुड** ने लिखा है—**"लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है।"**[1] लक्ष्य में दूरदर्शिता होती है। साथ ही इसमें आदर्शवादिता होती है। इसकी प्राप्ति में कठिनाइयाँ भी आती हैं परन्तु अनुपयोगी (Useless) नहीं होते हैं। **वेस्ले** के अनुसार, **"तारागण उपयोगी हैं, यद्यपि नाविक (Mariner) उन तक कभी नहीं पहुँचता है।"** अतः लक्ष्य सदैव प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

मूल्य (Value) लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में प्राप्त उपयोगी अनुभव है। लक्ष्य हमारा एक होता है। परन्तु उसकी प्राप्ति में बहुत से अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हम सदैव अपने उद्देश्य को प्राप्त ही कर लें परन्तु हमें लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में बहुत से अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। **प्रो. घाटे** (Ghate) ने लक्ष्य तथा मूल्य के अन्तर को एक सुन्दर उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है—**"कोलम्बस ने भारत पहुँचने के लिए एक नवीन मार्ग की खोज करना अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। परन्तु कोलम्बस अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न कर सका और इस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में उसने अमेरिका की खोज की।"** अतः अमेरिका की खोज मूल्य की श्रेणी में आयेगी, न कि लक्ष्य के अन्तर्गत।

उद्देश्य (Objective)—उद्देश्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए **कार्टर वी. गुड** ने लिखा है—**"उद्देश्य वह मापदण्ड या उद्देश्य है जिसको छात्र द्वारा विद्यालयी क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है।"**[2] **कार्टर** महोदय ने आगे लिखा है—**"उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा पथ-प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होता है।"**[3] इस प्रकार उद्देश्य में लक्ष्य की अपेक्षा व्यावहारिकता अधिक होती है। इसको प्राप्त कराने का दायित्व शिक्षक के कन्धों पर होता है।

---

1. Objective is a standard or goal to be achieved by the pupil when the work in the school activity is completed."
—**Carter V. Good** : *Dictionary of Education*, p. 278.
2. "Objective is a desired change in the behaviour of pupil as a result of experience directed by the school."
—**Carter V. Good**
3. Aim is a foreseen end that gives direction to an activity.
—**Carter V. Good : *Dictionary of Education, p. 19***

लक्ष्य एवं उद्देश्य के अन्तर को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है–

लक्ष्य (Aims)	उद्देश्य (Objective)
1. लक्ष्य शिक्षा को निर्धारित दिशाएँ प्रदान करते हैं। शिक्षा इनके अभाव में वांछित दिशा में प्रगति नहीं कर सकती है।	1. उद्देश्य वह बिन्दु है जो निर्धारित दिशा में सम्भव उपलब्धि को व्यक्त करता है।
2. लक्ष्य की प्राप्ति विद्यालय कार्यक्रम के क्षेत्र से बाहर है। दूसरे शब्दों में, लक्ष्यों को केवल विद्यालयी कार्यक्रमों से प्राप्त करना सम्भव नहीं है।	2. उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है।
3. लक्ष्य सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली को प्रदान की जाने वाली वांछित दिशाएँ हैं। शिक्षा के लक्ष्यों को विषयों के अनुकूल परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।	3. उद्देश्य विषयों के अनुकूल परिवर्तनशील होते हैं।
4. शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति निश्चित नहीं है।	4. उद्देश्य लक्ष्यों से विकसित या उत्पन्न नहीं हैं। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति का एक चरण होता है।
5. लक्ष्य व्यापक होते हैं। इस कारण वे विषय-वस्तु या अन्तर्वस्तु (Content) के चयन में निश्चित निर्देश नहीं दे पाते हैं।	5. उद्देश्य अन्तर्वस्तु के चयन में सहायता प्रदान करते हैं।
6. लक्ष्यों की व्यापकता एवं आदर्श-वादिता दिन-प्रतिदिन के कार्य में कक्षा-शिक्षक की निश्चित दिशा में सहायता नहीं कर पाती। इस कारण ये कक्षा-शिक्षक के लिये अर्थहीन होते हैं।	6. उद्देश्य विशिष्ट होने के कारण शिक्षक के लिये अर्थपूर्ण हैं। उद्देश्य निर्देशात्मक आयोजन (Instructional planning), छात्रों के निर्देशन आदि में शिक्षक की सहायता करते हैं।
7. लक्ष्य कक्षा-कक्ष की शिक्षण की रणनीतियों के निर्धारण में सहायक नहीं होते हैं।	7. उद्देश्य कक्षा-कक्ष की शिक्षण-रणनीतियों के निर्धारण में सहायक होते हैं।
8. लक्ष्य एक सामान्य कथन (State-ment) है।	8. उद्देश्य एक निश्चित एवं विशिष्ट कथन है।

नागरिकशास्त्र-शिक्षण के लक्ष्य
(AIMS OF CIVICS TEACHING)

प्रत्येक विषय के उद्देश्य सामान्य शिक्षा के लक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। शिक्षा के समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति एक विषय के अध्ययन द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रत्येक विषय किसी-न-किसी रूप में उसकी प्राप्ति में सहायक होता है। नागरिकशास्त्र शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत सहायक है। यह सत्य है कि नागरिकशास्त्र प्रत्यक्ष रूप से रोटी तथा मक्खन देने वाला विषय नहीं है। परन्तु इसके द्वारा छात्रों के चरित्र-निर्माण, नेतृत्व के विकास एवं नागरिकता के गुणों के विकास में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता है। नागरिकशास्त्र के शिक्षण के लक्ष्यों का विवेचन इस प्रकार है—

(1) आदर्श नागरिकता (Ideal Citizenship)—नागरिकशास्त्र के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य—आदर्श नागरिकता प्राप्त करना है। इसके शिक्षण से छात्रों में उन गुणों का विकास करना है जिनके द्वारा वे आदर्श नागरिक बन सकें। आदर्श नागरिकता प्रजातन्त्रीय सरकार की सुरक्षा तथा सफलता के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि किसी सरकार की सुरक्षा, स्थायित्व तथा सफलता उसके नागरिकों की भक्ति तथा समझदारी पर आधारित है। जैसे उसके नागरिक होंगे उसी प्रकार की सरकार होगी। इसीलिए नागरिकों के लिए यह जानना आवश्यक है कि राज्य के प्रति नागरिकों के क्या कर्त्तव्य हैं ? उनके क्या अधिकार हैं ? नागरिकशास्त्र इन अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के ज्ञान के साथ-साथ उनको यह भी सिखाता है कि इन अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का उपभोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे मानव समाज का कल्याण हो। छात्रों को दूसरे के अधिकारों को आदर देने की भावना प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे ये आदर्श नागरिकता प्राप्त कर सकें। आदर्श नागरिकता द्वारा हम अधिक-से-अधिक मानवों की अधिक भलाई कर सकते हैं।

(2) नागरिक चरित्र (Civic Character)—प्रो. बाइनिंग ने नागरिकशास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना बताया है।[1] इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छात्र विभिन्न शासकीय साधनों, जैसे—स्थानीय, राजकीय तथा संघीय सरकारों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। एक युवक के लिए इनका ज्ञान आवश्यक है, जिससे वह अपने आगामी जीवन में इन साधनों का प्रभावशाली प्रयोग करके सफल कार्यकर्ता बन सके। इन साधनों का स्थायित्व केवल समाज-कल्याण के दृष्टिकोण से है, यदि इनके द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है तो वे निरर्थक हैं।

(3) राजनैतिक जागरूकता (Political Consciousness)—नागरिकशास्त्र के शिक्षण का एक अन्य लक्ष्य छात्रों को राजनैतिक सजगता तथा चेतनता प्रदान करना है। इसका अर्थ नागरिकों में राजनैतिक सक्रियता तथा सजगता उत्पन्न करना है। आज के छात्रगण कल के नागरिक हैं, जिन पर समाज के निर्माण तथा उसकी उन्नति का भार है। किसी भी राष्ट्र के प्रजातन्त्र की सफलता के लिए राजनैतिक जागरूकता का होना परमावश्यक है। इसको उत्पन्न करने के लिए छात्रों को नागरिक के अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का ज्ञान देना अनिवार्य है। साथ ही इनके अनुसार सही-सही आचरण करने के लिए भी बल देना चाहिए। नागरिकशास्त्र का शिक्षण विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन करके छात्रों में व्यावहारिक रूप से राजनैतिक सजगता को उत्पन्न कर सकता है।

---

1. "The outstanding purpose of instruction in civics is to produce better citizens and to aid pupils in the formation of a higher type of civic character."
—**Bining** and **Bining** : *Teaching the Social Studies in Secondary School*, p. 40.

राजनैतिक जागरूकता से वे प्रचलित शासन-प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय जनता ने 1980 के लोकसभा के चुनावों में अपनी राजनैतिक सजगता का परिचय दिया था। जनता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो दल जनहित के लिए कार्य नहीं करेगा, उसे सत्ता से अलग कर दिया जायेगा। सफल नागरिक के लिए राजनैतिक रूप से सजग रहना अनिवार्य है। अतः छात्रों को राजनैतिक रूप से सजग बनाना परमावश्यक है क्योंकि वे ही भावी नागरिक हैं और राष्ट्र की प्रगति उनके कर्त्तव्य के सफल निर्वाह पर निर्भर है।

(4) सामाजिक कुशलता (Social Efficiency)—नागरिकशास्त्र शिक्षण का एक अन्य लक्ष्य है—छात्रों में सामाजिक कुशलता का विकास करना।

नागरिकशास्त्र की शिक्षा छात्रों में सामाजिक कुशलता के विकास में भी सहायक है। सामाजिक कुशलता के विकास के लिए निम्नांकित गुणों का विकास आवश्यक है—

(अ) आर्थिक कुशलता (Economic efficiency),

(ब) सामाजिक सजगता (Social awareness),

(स) निषेधात्मक नैतिकता (Negative morality),

(द) विधेयात्मक नैतिकता (Positive morality)।

नागरिकशास्त्र शिक्षण उक्त गुणों के विकास में परोक्ष एवं अपरोक्ष ढंगों से सहायता प्रदान करता है।

(5) राष्ट्रीय चरित्र (National Character)—नागरिकशास्त्र का शिक्षण ऐसे दृष्टिकोण से किया जाये जिससे छात्रों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके, अर्थात् उनके राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सके। बाल्यावस्था में बच्चे को हम जो विचार तथा भाव प्रदान करेंगे, वे ही उसके आगामी जीवन की आधारशिला होंगे। इसलिए नागरिकशास्त्र के शिक्षण से हमको छात्रों को ऐसे विचार प्रदान करने चाहिए जिससे उनके राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सके और वे राष्ट्र का हित कर सकें। परन्तु ये विचार अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक न हों, क्योंकि समस्त मानव जाति एक कुटुम्ब के समान है जिसमें सबको सहयोग, प्रेम, सहानुभूति तथा सहकारिता के साथ रहना चाहिए।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास (Development of International Outlook)—छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना नागरिकशास्त्र का मुख्य लक्ष्य है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने सम्पूर्ण विश्व को एक बना दिया है। कोई भी राष्ट्र आत्म-निर्भर नहीं है। एक-दूसरे से उन्हें सहायता लेनी पड़ती है। इन सम्बन्धों का आधार प्रेम, सहानुभूति, सहयोग तथा सहकारिता होनी चाहिए। विश्व को तृतीय महायुद्ध के भय से इस भावना द्वारा ही बचाया जा सकता है। नागरिकशास्त्र हमें 'रहो तथा रहने दो' (Live and let live) का सिद्धान्त सिखाता है। इसके द्वारा हमको अपने छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहिए। इस शास्त्र द्वारा छात्रों में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना विकसित करनी चाहिए।

(7) मानसिक शक्तियों का विकास (Development of Mental Powers)— नागरिकशास्त्र के शिक्षण का एक अन्य लक्ष्य, बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास करना है। उदाहरणार्थ, कल्पना, तर्क, आलोचना, स्मरण तथा निर्णय आदि शक्तियाँ। नागरिकशास्त्र में ऐसी कोई पाठ्य-वस्तु नहीं है जो तर्क-रहित हो। इसके अध्ययन से आलोचना, तर्क, कल्पना तथा निर्णय आदि शक्तियों का विकास किया जा सकता है। इस शास्त्र द्वारा छात्रों को सत्य तथा असत्य वस्तुओं में भेद करना सिखाया जाता है। जो सत्य है, उसी को ग्रहण करने के लिए बल दिया जा सकता है। छात्रों को नागरिकशास्त्र में ऐसे बहुत-से अवसर प्राप्त होते हैं, जहाँ उन्हें अपने निर्णय तथा

कल्पना-शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। समस्याओं का हल निकालने में उनकी मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है।

(8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास (Development of Scientific Outlook)— वैज्ञानिक युग की यह प्रबल माँग है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाये। नागरिकशास्त्र इस माँग को पूर्ण करने में बहुत सहायता प्रदान करता है। इस कारण इसके शिक्षण का एक मुख्य लक्ष्य यह भी है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए जिससे वे अन्धविश्वासी न बन सकें तथा अवैज्ञानिक वस्तुओं का त्याग करने में समर्थ हो सकें। यह तभी किया जा सकता है, जब उनकी निर्णय तथा तर्क शक्तियाँ विकसित हों।

(9) लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास (Development of Democratic Values)— नागरिकशास्त्र-शिक्षण का एक अन्य लक्ष्य है—बालकों में लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास करना। नागरिकशास्त्र-शिक्षण द्वारा छात्रों में सहनशीलता, सहयोग, पारस्परिक विचार-विमर्श करने का ढंग, स्वतन्त्रता, समता तथा भ्रातृत्व नामक लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए।

ई. एम. ह्वाइट (E. M. White) का मत है कि जैसे-जैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था अधिक जटिल होती जाती है वैसे-वैसे हमें योग्य नागरिकता की ओर अधिक ध्यान देना पड़ता है। आज इसी कारण शिक्षा को जीवन के लिए एक सजीव तैयारी के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समस्त शिक्षण एवं अनुशासन की रुचि जाग्रत करने, ज्ञान देने, सौन्दर्यानुभूति एवं उचित दृष्टिकोण विकसित करने तथा प्रेरणा देने के कार्य में परिवर्तित किया जाता है। नागरिकशास्त्र आधुनिक अर्थ में वह विषय है जो नागरिकता के दृष्टिकोण से इन सम्पूर्ण कार्यों को करता है। अतः नागरिकशास्त्र के तीन लक्ष्य होने चाहिए। ये लक्ष्य निम्नलिखित हैं—

प्रथम, नागरिकशास्त्र के शिक्षण द्वारा छात्रों में उनके निकटवर्ती पड़ोस के लिए रुचि जाग्रत की जानी चाहिए और धीरे-धीरे इस रुचि को ग्राम, नगर, जिला, प्रदेश, देश तथा सम्पूर्ण विश्व के लिए विस्तृत बनाया जाये।

द्वितीय, इसके द्वारा छात्रों को संस्थाओं के विकास, सभ्यता की उन्नति, वर्तमान दशाओं के कारणों तथा भविष्य की झलक का ज्ञान दिया जाये।

तृतीय, नागरिकशास्त्र-शिक्षण द्वारा छात्रों में समाज की सेवा करने की इच्छा तथा उसके प्रति भक्ति की भावना रखने की प्रेरणा उत्पन्न की जाये।

ई. एम. ह्वाइट ने लिखा है, **"किसी विषय में वास्तविक रुचि विकसित करने के लिए विषय को वास्तविक या सजीव बनाना आवश्यक है। विषय को वास्तविक बनाने के लिए बालकों के वास्तविक जीवन, उनके घरों एवं सड़कों, प्रतिदिन की घटनाओं आदि का अध्ययन किया जाये जिससे बालक जीवन तथा नागरिकशास्त्र के पाठों के वास्तविक सम्बन्ध को समझ सकें।"** अतः नागरिकशास्त्र के उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नागरिकशास्त्र का वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक है।

एडम्स वेस्ले (Adams Weslay) ने नागरिकशास्त्र-शिक्षण के निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तुत किये हैं—

1. सरकार की आवश्यकता को समझने की शक्ति प्रदान करना।
2. सरकार के ढाँचे का ज्ञान प्रदान करना।
3. राजनैतिक दलों तथा उनके कार्यों का ज्ञान प्रदान करना।
4. राष्ट्रों के सहयोग के महत्त्व का ज्ञान देना।
5. नागरिक के कर्त्तव्यों तथा अधिकारों का ज्ञान कराना।
6. प्रजातन्त्र के लिए दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि नागरिकशास्त्र का मुख्य लक्ष्य समाज में उपयोगी सदस्यों का निर्माण करना है। उपयोगी का तात्पर्य यह होना चाहिए कि ये सदस्य समाज के हित के लिए कार्य करें। इन सदस्यों का उदार दृष्टिकोण हो तथा दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता की नीति को अपनायें। इसके अतिरिक्त वे सहानुभूति, भ्रातृत्व, प्रेम, नम्रता आदि गुणों से विभूषित हों। इसके साथ ही उनमें दूसरे व्यक्तियों के हित के लिए अपनी स्वार्थपरता को त्यागने की क्षमता हो। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे राष्ट्र तथा अन्य व्यक्तियों के लिए अपनी इच्छाओं को न्योछावर करने के लिए तैयार रहें।

लोकतन्त्रीय भारत में नागरिकशास्त्र-शिक्षण के लक्ष्य
(AIMS OF CIVICS TEACHING IN DEMOCRATIC INDIA)

हम अध्याय 2 में लोकतन्त्रीय भारत की वर्तमान आवश्यकताओं एवं विशेष परिस्थितियों का विवेचन कर चुके हैं। उनको ध्यान में रखकर नागरिकशास्त्र के शिक्षण के निम्नलिखित लक्ष्यों पर बल दिया जा सकता है—

1. लोकतान्त्रिक नागरिकता का विकास (Development of Democratic Citizenship)—भारत ने स्वयं को एक लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया है। उसने लोकतन्त्र को शासन के स्वरूप के साथ-साथ जीवन के ढंग के रूप में भी ग्रहण किया है। दोनों ही दृष्टिकोणों से नागरिकशास्त्र द्वारा छात्रों में लोकतन्त्रीय नागरिकता का विकास किया जाना परमावश्यक है। अतः भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस उद्देश्य पर अधिक बल दिया जा सकता है। लोकतन्त्रीय नागरिकता के अर्थ को देखने से पूर्व नागरिकता का अर्थ देखना आवश्यक है। **हॉर्न** ने नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, **"नागरिकता राज्य में मनुष्य का स्थान है। क्योंकि राज्य समाज की स्थायी संस्था है और मनुष्य को अपने साथियों के साथ सदैव सुसंगठित सम्बन्धों के साथ रहना चाहिए, इसलिए नागरिकता को शिक्षा के आदर्श क्षेत्र से बाहर नहीं निकाला जा सकता है।"**[1]

आधुनिक युग में उत्तम नागरिकता की धारणा को नागरिक एवं वैयक्तिक (Civic and Personal) सद्गुणों का मिश्रण माना जाता है। इसके अनुसार वैयक्तिकता के विकास तथा सामाजिक दायित्वों को एक-दूसरे का विरोधी नहीं माना जाता वरन् पूरक माना जाता है। **माध्यमिक शिक्षा आयोग** ने लोकतन्त्रीय नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, **"लोकतन्त्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें बहुत-से बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक गुण निहित हैं, जिनके अपने आप विकसित होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।"**[2]

इन गुणों को विकसित करने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। देश के विद्यालयों को इस प्रशिक्षण को प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर लेना होगा। बिना सोच-समझ के अपने वोट को देकर लोकतन्त्र को सफल नहीं बनाया जा सकता वरन् इसके सफल संचालन के लिए व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक मामलों के विषय में अपना स्वतन्त्र

---

1. "Citizenship is man's place in the state. As the state is one of the permanent institution of society and as man must ever live in organised relations with his fellows, citizenship cannot be omitted from the constituency of the educational ideal." **—H. H. Horne**
2. "Citizenship in a democracy is a very exacting and challenging responsibility for which every citizen has to be carefully trained. It involves many intellectual, social and moral qualities which cannot be expected to grow of their own accord."
—Report of the Secondary Education Commission, p. 23.

निर्णय बनाना होगा और उसके अनुसार अपनी कार्य-प्रणाली को निर्धारित करना होगा। व्यक्ति ऐसा तभी कर सकता है जब उसमें लोकतान्त्रिक नागरिकता के गुणों का विकास किया गया हो। स्वतः प्रश्न उठता है कि व्यक्ति में किन गुणों का विकास किया जाये ? इसके उत्तर में हम **माध्यमिक शिक्षा आयोग** के शब्दों का उल्लेख कर सकते हैं—

"एक योग्य नागरिक को समझदारी एवं बौद्धिक सत्यनिष्ठा रखनी चाहिए जिससे वह असत्य से सत्य तथा प्रचार से तथ्यों को छाँटकर निकाल सके, कट्टरता एवं पक्षपात के घातक अनुरोध को रद्द कर सके। उसे स्वयं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए जिससे वह वस्तुपरक ढंग से सोच सके तथा प्रमाणित सामग्री के आधार पर अपना निर्णय बना सके। उसको सदैव खुला मस्तिष्क रखना चाहिए जिससे वह नवीन विचारों को ग्रहण कर सके और स्वयं को प्राचीन परम्पराओं, रीति-रिवाजों एवं विश्वासों की चहारदीवारी में न बाँध सके। उसे प्राचीन को इसलिए रद्द नहीं करना चाहिए क्योंकि वह प्राचीन है और न नवीन को इसलिए ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वह नवीन है वरन् उसे संयमित होकर विवेकपूर्ण ढंग से दोनों की जाँच करनी चाहिए तथा उन बातों को साहस के साथ रद्द करना चाहिए जो न्याय एवं प्रगति की शक्तियों को सीमित बनाते हैं।"[1]

योग्य नागरिक में उक्त बौद्धिक गुणों के साथ सामाजिक एवं नैतिक गुणों का होना भी आवश्यक है। उसमें अनुशासन, सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता तथा सहिष्णुता का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि अनुशासन नामक गुण सफल सामूहिक कार्यों के लिए अनिवार्य है। साथ ही सहयोग नामक गुण सफल सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए परमावश्यक है। इसके विकास के लिए सामाजिक अभिप्रायों हेतु छात्रों में निष्ठा उत्पन्न की जाये। सामाजिक संवेदनशीलता सामाजिक न्याय एवं अच्छे चरित्र की नैतिक आधारशिला है। सहिष्णुता के अभाव में लोकतन्त्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। अतः लोकतन्त्र के अस्तित्व को कायम रखने के लिए सहिष्णुता नामक गुण का विकास परमावश्यक है। साथ ही यह धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास में भी सहायक है।

2. नेतृत्व का विकास (Development of Leadership)—**माध्यमिक शिक्षा आयोग** का विचार है, **"लोकतन्त्र सफलतापूर्वक तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक उसके किसी वर्ग-विशेष को नहीं वरन् समस्त लोगों को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाये और इसमें अनुशासन के साथ-साथ नेतृत्व का प्रशिक्षण निहित है।"** नेतृत्व में सामाजिक मामलों की समझदारी तथा नागरिक कुशलता निहित है। अतः नेतृत्व का विकास करने के लिए छात्रों को सामाजिक मामलों की स्पष्ट एवं गहन जानकारी प्रदान की जाये। उनमें इन्हें समझदारी के साथ सुलझाने की भी क्षमता विकसित की जानी चाहिए।

3. राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास (Development of National Outlook)—इस दृष्टिकोण के विकास के लिए छात्रों में निम्नलिखित भावनाओं का विकास करना आवश्यक है—

(i) अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार देश की सेवा करने की भावना।

(ii) अपने देश की निर्बलताओं को सहर्ष स्वीकार करने की भावना। साथ ही निर्बलताओं को दूर करने के लिए प्रेरित करना।

---

1. "To be effective, a democractic citizen should have the *understanding* and the *intellectual integrity* to shift truth from falsehood, facts from propaganda, to reject the dangerous appeal of fanaticism and prejudice. He must develop a *scientfic attitude* of mind to think objectively and base his conclusions on tested data. He should have an *open* mind receptive to new ideas and not confined with the prison walls of out-moded customs, traditions and beliefs. It should neither reject the old because it is old nor accept the new because it is new, but dispassionately examine both and courageously reject whatever arrests the forces of justice and progress."
—Report of the Secondary Education Commission, p. 24.

(iii) अपने देश की उपलब्धियों को समझने एवं उनकी सराहना करने की क्षमता का विकास।

(iv) राष्ट्रीय हित के समक्ष अपने व्यक्तिगत हितों को न्योछावर करने की भावना।

4. शासन के स्वरूप का ज्ञान प्रदान करना (To Impart Knowledge of the form of Government)—नागरिकशास्त्र शिक्षण का एक लक्ष्य छात्रों को सरकार के स्वरूप से परिचित कराना होना चाहिए। इसके लिए उनको संघीय, राज्यीय तथा स्थानीय तीनों स्तरों के ढाँचों का ज्ञान कराया जाये। साथ ही छात्रों के उनके प्रति क्या कर्त्तव्य हैं ? उन कर्त्तव्यों का निर्वाह किस प्रकार किया जाये ? कर्त्तव्यों को सफलतापूर्वक निभाने से क्या सम्भावित परिणाम निकल सकते हैं ? आदि बातों को स्पष्टतः समझाया जाये।

5. विश्व नागरिकता की भावना का विकास (Development of the Feeling of World Citizenship)—आधुनिक भारत में विश्व नागरिकता तथा भावनात्मक एकता के विकास के लिये नागरिकशास्त्र के प्रभावी कार्यक्रम की परम आवश्यकता है। भारत सदैव से 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'सभी भूमि गोपाल की' की अवधारणा में आस्था व्यक्त करता रहा है। आज के अन्तर्ग्रथित विश्व में इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। अतः भारतीय लोकतंत्र में सच्ची देशभक्ति के साथ-साथ विश्व नागरिकता के विकास को नागरिकशास्त्र शिक्षण एक प्रमुख लक्ष्य माना गया है।

6. वैज्ञानिक प्रवृत्ति एवं आधुनिकीकरण का विकास (Development of Scientific Temper and Modernization)—आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग में निवास कर रहे हैं। ये प्रगति एवं समृद्धि के मूलाधार माने जाते हैं। अतः नागरिकशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास (Development of Scientific Temper) माना गया है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास के लिये नागरिकशास्त्र शिक्षण द्वारा छात्र में स्पष्ट चिन्तन, भाषण तथा निर्णय के विकास पर बल दिया जाता है। वर्तमान युग में आधुनिकीकरण का प्रयोग व्यक्ति के आन्तरिक गुणों जैसे सामाजिक सम्बन्धों में विवेकशीलता तथा व्यापक दृष्टिकोण के लिये किया जाता है। आधुनिकीकरण एक गत्यात्मक संकल्पना है जिसमें परिवर्तन तथा अनुकूलन की प्रक्रिया निहित है। यह विभेदीकरण की प्रक्रिया है जो आधुनिक समाजों की विशेषताओं को व्यक्त करती है। यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। यह मानव व्यवहार तथा मामलों के विषय में नवीन ज्ञान के प्रयोग पर बल देती है।

उपर्युक्त लक्ष्यों के अतिरिक्त नागरिकशास्त्र के शिक्षण में निम्नलिखित की प्राप्ति पर बल दिया जाना चाहिए—

1. चारित्रिक गुणों का विकास।
2. मानसिक शक्तियों का विकास।
3. सामाजिक व्यवस्था का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया जाये।
4. भावात्मक एकता के विकास में सहायता प्रदान करना।

विभिन्न स्तरों पर नागरिकशास्त्र शिक्षण के लक्ष्य
(AIMS OF CIVICS TEACHING AT DIFFERENT STAGES)

(1) प्राथमिक स्तर—प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1-5 आती हैं। इस स्तर के छात्र कहानी कहना तथा सुनना अधिक पसन्द करते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी आयु ऐसी होती है कि उनको सरलता से प्रभावित किया जा सकता है। अतः इस समय उनमें जिन आदतों एवं गुणों का विकास कर दिया जायेगा, वे उनके भावी जीवन की आधारशिला का कार्य करेंगे। इसलिए इस स्तर पर नागरिकशास्त्र शिक्षण के अग्रलिखित उद्देश्य हो सकते हैं—

(1) छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास करना। इसके लिए विभिन्न काल्पनिक एवं वास्तविक पात्रों की कहानियों का सहारा लिया जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इतिहास से सह-सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए।

(2) छात्रों में विभिन्न उत्तम आदतों का निर्माण करना जिससे वे अनुशासित जीवन व्यतीत करना सीख सकें।

(3) छात्रों में देश-प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना का विकास करना। इसके लिए भी कहानियों का सहारा लिया जा सकता है।

(4) छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना।

(5) छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना।

(6) स्थानीय संस्थाओं एवं नेताओं से अवगत करना।

(7) राष्ट्रीय एकता के प्रतीकों के प्रति सम्मान तथा अपनत्व की भावना का विकास।

2. माध्यमिक स्तर—इस स्तर के छात्र किशोरावस्था के निकट पहुँचने लगते हैं। उनकी मानसिक शक्तियों का भी कुछ सीमा तक विकास हो जाता है। वे वास्तविकता में अधिक आस्था रखते हैं। अतः इस स्तर पर नागरिकशास्त्र की शिक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दी जा सकती है—

(1) नागरिक गुणों के विकास के लिए व्यावहारिकता पर बल देना।

(2) स्थानीय शासन से परिचित कराना।

(3) शासन के स्वरूप से अवगत कराना।

(4) वैज्ञानिक दृष्टिकोण के निर्माण के लिए कार्य करना।

(5) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना।

(6) देश की सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना।

(7) छात्रों की सामाजिक शक्तियों का विकास करना।

(8) चारित्रिक गुणों एवं अनुशासित जीवन के अंगों को दृढ़ बनाना।

(9) राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना।

(10) छात्रों को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से सरल उदाहरणों द्वारा अवगत कराना।

3. उच्चतर माध्यमिक स्तर—इस स्तर के बालकों का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, शब्द-ज्ञान आदि सभी दृष्टिकोण से पर्याप्त रूप से विकास हो जाता है। वह स्वयं निर्णय करने के योग्य भी हो जाता है। इस स्तर के बालक स्वयं को दूसरों से अभिस्वीकार करवाना चाहते हैं। अतः इस स्तर पर नागरिकशास्त्र की शिक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दी जा सकती है—

(1) छात्रों में नागरिक कुशलता एवं दायित्व समझने की भावना का विकास करना।

(2) छात्रों को नागरिक कर्त्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना।

(3) छात्रों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को दृढ़ बनाना।

(4) छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परिपक्व बनाना जिससे वे सत्य एवं असत्य तथा प्रचार एवं वास्तविकता के अन्तर को समझ सकें।

(5) छात्रों को स्वतन्त्र चिन्तन एवं निर्णय के लिए अवसर प्रदान करना।

(6) छात्रों को देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराकर उन्हें उनके समाधान के लिए तत्पर बनाना।

(7) नैतिक चरित्र के गुणों का विकास करना। परन्तु इनका विकास उदाहरण एवं व्यावहारिक क्रियाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(8) शासन के रूपों एवं लोकतन्त्रीय जीवन के ढंगों से अवगत कराना। उन्हें लोकतन्त्रीय ढंग से जीवन व्यतीत करने के लिए अवसर प्रदान किये जायें।

(9) राजनैतिक दलों एवं उनके कार्यक्रमों का ज्ञान दिया जाये।

(10) भावनात्मक एकता की भावना का विकास करना।